



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22092023-248897
CG-DL-E-22092023-248897

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4024]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 22, 2023/भाद्र 31, 1945

No. 4024]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 22, 2023/BHADRA 31, 1945

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2023

आय-कर

का.आ. 4192(अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 43घ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त धारा के प्रयोजन हेतु गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के निम्नलिखित वर्ग अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

- (क) उच्च स्तर में वर्गीकृत सभी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी);
- (ख) उच्चतर स्तर में वर्गीकृत सभी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी);
- (ग) मध्य स्तर में वर्गीकृत सभी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी);

स्पष्टीकरण.—गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों का उच्च स्तर, उच्चतर स्तर और मध्य स्तर में वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं.डीओआर.सीआरई.आरईसी.60/03.10.001/2021-22, तारीख 22 अक्तूबर, 2021 में अंतर्विष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[अधिसूचना सं. 79/2023/फा.सं. 370142/31/2023-टीपीएल]

जिवितेश आनंद, अवर सचिव